महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/ सदस्यों एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के पदों हेतु विज्ञापन

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड तथा धारा 27 के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति का गठन राज्य के प्रत्येक जनपद में किया गया है। वर्तमान बोर्ड एवं समिति का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा है, नवीन बोर्ड एवं समिति के गठन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहें हैं। **आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर, 2024** है।

चयनित बोर्ड/समिति के सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा भारत सरकार की मिशन वात्सल्य योजना की मार्गदर्शिका 2022 में निहित प्राविधानानुसार नामित प्रत्येक अध्यक्ष/सदस्य को मात्र रू.- 2000/- (रू. दो हजार समस्त व्यय सहित) प्रति बैठक अधिकतम् 20 बैठक हेतु प्रतिमाह निर्धारित किया गया है जिसमें बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता आदि समस्त देयक सम्मिलित हैं।

1- **किशोर न्याय बोर्ड**ः प्रत्येक जनपद में दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों का चयन जिसमें 01 महिला होगी, किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के उपनियम 4 (3) के अन्तर्गत सदस्यों की अर्हता निम्नवत हैः-

A. सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की अधिसूचना/विज्ञापन की तारीख को न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी और 65 वर्ष से अधिक नही होंगी।

B. आवेदक शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 07 वर्ष का अनुभव या बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज-विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत कृतिक होने चाहिए।

C. बोर्ड का सदस्य अधिकतम् दो कार्यकालों के लिए पात्र होगा।

2- **बाल कल्याण समितिः** प्रत्येक जनपद में 01 अध्यक्ष तथा 04 सदस्य होंगें, जिसमें न्यूनतम 01 महिला का होना अनिवार्य हैः-

A. समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु अधिसूचना/विज्ञापन की तारीख को न्यूनतम 35 वर्ष होगी और 65 वर्ष से अधिक नही होगी।

B. आवेदक के पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या दिब्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए और बच्चों से सम्बन्धित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में 07 वर्ष का अनुभव हो, या जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव विकास या दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में व्यवसायिक वृत्तिक डिग्री हो।

C. बाल कल्याण समिति के सदस्य अधिकतम् दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो कि लगातार नहीं होंगे परन्तु अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किये जाने वाले सदस्य के मामले में वर्जित नहीं होगी।

D. आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के आदर्श नियम 2016 व संशोधित नियम 2022 के नियम 15 (4) के प्रारूप 49 पर शपथ पत्र जमा करना होगा।

E. विदेश से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुडा व्यक्ति समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए पात्र नहीं होगा।

F. किसी गैर सरकारी संगठन या किसी संगठन, जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करता हो जिनमें समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का टकराव होता हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

3- **उपरोक्त के अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य तथा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य के पद हेतु पात्र नहीं होगें यदि आवेदकः-**

01 ऐसे पूर्ण कालिक पद का धारक, जो अधिनियम व नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए आवश्यक समय व ध्यान न दे पाए।

02 आवेदनकर्ता अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्थान से जुड़ा न हो।

03 मानव अधिकारों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण का पूर्व रिकार्ड न हो।

04 ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, दोषसिद्ध किया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध के संबंध में पूर्ण माफी प्रदान नहीं की गई है।

05 भारत सरकार व राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा नियंत्रित किसी उपक्रम अथवा निगम की सेवा से हटाया गया या पदच्युत किया गया है।

06 बालक दुरूपयोग या बालक श्रम के नियोजन या अनैतिक कृत्य या मानव अधिकारों के किसी अन्य अतिक्रमण अथवा अनैतिक कृत्यों में कभी लिप्त रहा है, या

07 आवेदनकर्ता अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो।

08 दिवालिया न हो।

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य पदों हेतु आवदेन पत्र

1. आवेदित पद का नाम (सदस्य किशोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति) .....
2. आवेदित जनपद का नाम- .....
3. नाम.....
4. पिता/पति का नाम.....
5. जन्मतिथि (हाई स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार).....
6. स्थायी पता .....
7. पत्राचार/वर्तमान पता.....
8. शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें).. .....

हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट	स्नातक	स्नातकोत्तर	अन्य

9. बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में अनुभव का विवरण .... अनुभव प्रमाण पत्र (विवरण संलग्न करें)
10. मोबाइल/दूरभाष न०..... ई.मेल.आई.डी.....
11. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में बोर्ड या समिति में कार्य किया गया है तो विवरणः- पदनाम..... जनपद का नाम ..... कार्य अवधि कब ..... से ..... तक

प्रमाणित फोटो

दिनांक .....

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम (स्पष्ट शब्दों).....

आवेदन हेतु सामान्य निर्देशः-

01. आयु/शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र, सामाजिक कार्यकर्ता होने का अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र प्रारूप 49 पर तथा बिन्दु संख्या 3 का 01 से 08 तक एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आदि स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र **निदेशालय महिला कल्याण उत्तराखण्ड, निकट नन्दा की चौकी, प्रेमनगर सुद्धोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड** में पंजीकृत डाक के माध्यम से या किसी भी कार्य दिवस में स्वयं/पत्रवाहक द्वारा या ई-मेल आई0डी0 dir.mahilakalyan@uk.gov.in पर **दिनांक 05 अक्टूबर 2024** तक जमा करना होगा। अधिक जानकारी हेतु दूरभाष न० 7895795367, 8938033528 पर सम्पर्क किया जा सकता है या किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

02 आवेदन पत्र का प्रारूप तथा अन्य प्रारूप की विस्तृत जानकारी उत्तराखण्ड के समस्त जिला परिवीक्षा कार्यालय अथवा विभागीय बेबसाईट www.wecd.uk.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकतें है।

03 लिफाफे के ऊपर तथा आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से आवेदित पदनाम अंकित किया जाये।

04 निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

05 एक आवेदक अधिकतम् दो जनपदों से आवेदन कर सकता है, यदि दो जनपद से अधिक जनपदों से आवेदन किया जाता है तो निरस्त कर दिया जाएगा।

06 प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र स्वीकार्य होगें।

प्रारूप 49

नियम 15 (4 क)

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए शपथ पत्र

मैं..... बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिए आवेदन कर रहा हूं/रही हूं। मैं यह सत्यापित करता हूं कि अधिनियम की धारा 27 (4क) में अधिकथित किसी भी शर्त के कारण वर्जित नहीं हूं।

(i) मेरे ऊपर मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लघंन का कोई भी पिछला रिकार्ड नहीं है ।

(ii) मुझे नैतिक अधमता का दोषी नहीं ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्ध को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराधों के मामलें में पूर्ण क्षमा नहीं दी गयी है।

(iii) मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा तथा भारत सरकार या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उपक्रम से /सेवा से नहीं हटाया गया है ।

(vi) मैं कभी भी बाल कल्याण अपराध या बाल श्रम नियोजन या अनैतिक कार्य या मानव अधिकारों या अनैतिक कार्यो के उल्लघंन में लिप्त नहीं पाया गया हूँ या

(v) मैं जिले में बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नहीं हूं।

2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

(व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम और अन्य विशिष्टियां

(प्रशांत आर्य)

निदेशक/सदस्य-सचिव, महिला कल्याण उत्तराखण्ड

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य पदों हेतु आवदेन पत्र

प्रमाणित फोटो

1 आवेदित पद का नाम(सदस्य किशोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति).....

2 आवेदित जनपद का नाम–.....

3 नाम.....

4 पिता/पति का नाम .....

5 जन्मतिथि (हाई स्कूल प्रमाण–पत्र के अनुसार).....

6 स्थायी पता .....

7 पत्राचार/वर्तमान पता.....

8 शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें).....

हाई स्कूल	इण्टरमीडिएट	स्नातक	स्नातकोत्तर	अन्य

9 बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य,शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में अनुभव का विवरण .....

.....अनुभव प्रमाण पत्र (विवरण संलग्न करें)

9 मोबाइल/दूरभाष न0..... ई.मेल.आई.डी.....

10 यदि आवेदक द्वारा पूर्व में बोर्ड या समिति में कार्य किया गया है तो विवरणः–

पदनाम.....जनपद का नाम.....

कार्य अवधि कब.....से .....तक

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....

आवेदक का नाम (स्पष्ट शब्दों).....

प्रारूप 49

नियम 15(4क)

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए शपथ पत्र

मैं..... बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिए आवेदन कर रहा हूँ/रही हूँ। मैं यह सत्यापित करता हूँ कि अधिनियम की धारा 27 (4क) में अधिकथित किसी भी शर्त के कारण वर्जित नहीं हूँ।

(i) मेरे ऊपर मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लघंन का कोई भी पिछला रिकार्ड नहीं है।

(ii) मुझे नैतिक अधमता का दोषी नहीं ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्ध को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराधों के मामलें में पूर्ण क्षमा नहीं दी गयी है।

(iii) मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा तथा भारत सरकार या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उपक्रम से/सेवा से नहीं हटाया गया है।

(iv) मैं कभी भी बाल कल्याण अपराध या बाल श्रम नियोजन या अनैतिक कार्य या मानव अधिकरों या अनैतिक कार्यो के उल्लघंन में लिप्त नहीं पाया गया हूँ या

(v) मैं जिले में बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नहीं हूँ।

2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

(व्यक्ति के हस्ताक्षर)

नाम और अन्य विशिष्टिया

हवाई टैक्सी जल्द हकीकत बन जाएगी : मोदी

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा सरकार देश को उन्नत हवाई परिवहन के लिए तैयार कर रही है और जल्द ही हवाई टैक्सी एक हकीकत बन जाएगी। उन्होंने भारतीय नागरिक उड्डयन क्षेत्र के विकास पर प्रकाश डालते हुए कहा कि क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना के साथ विमान यात्रा समावेशी हो गई है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि नागरिक उड्डयन क्षेत्र की विकास में प्रमुख भूमिका है और यह कई नौकरियां भी पैदा करता है। इसलिए यह सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि आसमान सभी के लिए खुला रहे और लोगों का उड़ान भरने का सपना पूरा हो। प्रधानमंत्री राजधानी में नागरिक उड्डयन पर दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने एक अंतरराष्ट्रीय बौद्ध सर्किट बनाने का भी सुझाया दिया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य वर्ग के लोगों को उड़ान भरने की सुविधा देने वाली क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना 'उड़ान' के तहत, 1.40 करोड़ लोगों ने विमान से यात्रा की है।

दिल्ली में दूसरे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान गुरुवार को विमानन तकनीकी के विकास की इंजीनियरों से जानकारी लेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। • प्रेट

केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आएगा

नई दिल्ली। आबकारी नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की उस याचिका पर भी फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए अवैध बताया है। जस्टिस सूर्यकांत और उज्जल भुइयां की पीठ ने 5 सितंबर को केजरीवाल की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, सर्किट हाउस पौड़ी, गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
कारपोरेट आईडेन्टीटी नं० U40109UP2001SG025867/2358 दूरभाष 01368-221673 फैक्स: 01368-221673

निविदा विस्तारीकरण सूचना दिनांक 12.09.2024

एतद्द्वारा इस कार्यालय के पत्रांक 929 दिनांक 17.08.2024 द्वारा निविदा संख्या 02/EDD(P)/2024-25, 03/EDD(P)/2024-25, 04/EDD(P)/2024-25, 05/EDD(P)/2024-25, 06/EDD(P)/2024-25, दिनांक 18.08.2024 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी। अपरिहार्य कारणो से निविदा क्रय करने एवं खुलने की अन्तिम तिथि क्रमश दिनांक 12.09.2024 एवं 13.09.2024 तक विस्तारित्त की गई थी। जिसे पुन अपरिहार्य कारणों से निविदा क्रय करने एवं खुलने की अन्तिम तिथि क्रमशः दिनांक 20.09.2024 एवं 21.09.2024 तक विस्तारित की जाती है। अन्य नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।

पत्रांक 1153/वि०वि०ख०(पौ०)/उपाकालि/निविदा सूचना। अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्र हित मे विद्युत बचाये, बिजली बचाने हेतु एल०ई०डी बल्ब का प्रयोग करे। (टोल फ्री नं 1800 419 0405) विद्युत बिलों के 24x7 ऑनलाइन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जाए।

हर भारतीय को अपनी क्षमता का उपयोग करने का अवसर मिलना चाहिए: राहुल

नई दिल्ली, एजेंसी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के पास वास्तविक प्रतिनिधित्व और सक्रिय भागीदारी के माध्यम से अपनी पूरी क्षमता को उपयोग करने का अवसर हो।

राहुल गांधी ने अपने हालिया अमेरिकी दौर के एक संवाद का वीडियो साझा करते हुए एक फेसबुक पोस्ट में कहा, 'एक दूर की दृष्टि, जिसे मैं हमेशा पापा की आंखों में चमकते हुए देखता था। उसी ने दुनिया के बारे में मेरी समझ और मेरे उद्देश्य की भावना को गहराई से आकार दिया है।'

उन्होंने कहा, 'भारत के पास साझा समृद्धि की लोकतांत्रिक दृष्टि के साथ दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता, प्रतिभा और संसाधन हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि समानता ही प्रगति का मार्ग है।

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, काँवली रोड, देहरादून-248001,
कारपोरेट आईडेन्टीटी नं० UA40109UP2001SGC025867/2358
दूरभाष संख्या: 0135-2763672-75, वेबसाइट www.uktenders.gov.in

ई-निविदा विस्तार सूचना

इस कार्यालय द्वारा पूर्व में प्रकाशित ई-निविदा विशिष्टीकरण संख्या: सी.सी.पी.-II/10/2024-2025 जोकि 750 नग 11 के.वी. ड्राई वैक्टर मीटर की आपूर्ति हेतु आमंत्रित की गयी थी, को अपरिहार्य कारणों से विस्तारित किया जाता है। यह ई-निविदा क्रय एवं जमा दिनांक 27.09.2024 को 17:00 बजे तक की जा सकती है। ई-निविदा का भाग-एक दिनांक 28.09.2024 को 15:45 बजे खोला जायेगा।

अन्य नियम व शर्तें मूल ई-निविदा के अनुसार रहेंगी। अन्य विवरण के लिए कृपया वेबसाईट www.uktenders.gov.in को देखें।

No.: 458/EE(CM)/UPCL/A-2, Dt. 12.09.2024 — अधीक्षण अभियन्ता, कारपोरेट (अनुबन्ध एवं क्रय-द्वितीय)

"राष्ट्र हित में बिजली बचायें।" बिजली बचाने हेतु एल.ई.डी. बल्ब का प्रयोग करें। (टोल फ्री नं 1912) "विद्युत बिलों के 24X7 ऑनलाईन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जायें" (विद्युत चोरी की सूचना टोल फ्री नं. 18001804185/फैक्स नं0 0135-2760911 पर दें।)

लालू प्रसाद की एंजियोप्लास्टी हुई

मुंबई, एजेंसी। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की यहां एक अस्पताल में एंजियोप्लास्टी की गई। सूत्रों ने गुरुवार बताया कि यादव को 10 सितंबर को यहां एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में भर्ती कराया गया था और बुधवार को उनकी एंजियोप्लास्टी की गई। लालू यादव को जल्द अस्पताल से छुट्टी मिलने की उम्मीद है। उनकी वर्ष 2014 में एशियन हार्ट इंस्टीट्यूट में ऐआर्टिक वाल्व बदलने की सर्जरी की गई थी।

उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
कार्यालय अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, (केन्द्रीय) 18- ई०सी० रोड, देहरादून
कारपोरेट आईडेन्टिटी संख्या: U40109UR2001SGC025867

विद्युत बाधित सूचना

समस्त सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओ को सूचित किया जाता है कि उपखण्ड आराघर के अन्तर्गत विद्युत लाईन मे आवश्यक कार्य करने हेतु निम्नलिखित क्षेत्रो की विद्युत आपूर्ति पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बाधित रहेगी:-

क्र० सं०	उपसंस्थान का नाम	फीडर का नाम	दिनांक एवं समय	प्रभावित क्षेत्र
1	33/11 के०वी० आराघर	33 के०वी० सर्किट-2 आराघर	दिनांक 13.09.2024 से 15.09.2024 तक समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 17.00 बजे तक	आराघर, माता मन्दिर रोड, धर्मपुर, सुमन नगर, मॉडल कॉलोनी आदि क्षेत्र

अतः सम्मानित विद्युत उपभोक्ताओं से अनुरोध है जनहित के इस महत्वपूर्ण कार्य में कारपोरेशन का सहयोग करें तथा व्यवधान की स्थिति मे वैकल्पिक व्यवस्था बनाये रखें।

No: 459/EE(cm)/UPCL/A-2 Dated: 12/09/2024 — अधिशासी अभियन्ता

राष्ट्र हित में बिजली बचायें, बिजली बचाने हेतु एल०ई०डी० बल्ब का प्रयोग करें। (टोल फ्री नं० 1912) विद्युत बिलों के 24X7 ऑनलाइन भुगतान हेतु www.upcl.org पर जाए। (विद्युत चोरी की सूचना टोल फ्री नं0 1800 180 4185/फैक्स संख्या 0135-2760911 पर दें।)

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग प्रखण्ड देहरादून

तपोवन रोड, रायपुर रोड देहरादून
फोन/फैक्स: 0135-2780538, E-mail: exnres.10dun@gmail.com

पत्रांकः 937/ ग्रा०नि०वि०/ निविदा सूचना/ 2023-2024/ दिनांकः 12.09.2024

-: निविदा सूचना :-

महामहिम राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड की ओर से अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न कार्यों की सीलबन्द निविदा निम्न तालिका के कॉलम 09 के अनुसार पंजीकृत ठेकेदारों से दिनांक 01.10.2024 को अपरान्ह 2.00 बजे तक कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून में आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन सांय 2.30 बजे अधोहस्ताक्षरी अथवा अधोहस्ताक्षरी द्वारा अधिकृत किये गये सक्षम अधिकारी द्वारा निविदादाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र निविदा प्रकाशन की तिथि से निविदा खोलने की तिथि से एक दिन पूर्व किसी भी कार्य दिवस में सांय 4.00 बजे तक निर्धारित निविदा प्रपत्र के मूल्य का ई-चालान लेखाशीर्षक 0515008000100 (Rural Engineering Department of receipts) एवं जी०एस०टी० का चालान GST No 05AAAGR0628E1ZP में ई चालान के माध्यम से शुल्क जमा करा कर, ई-चालान की प्रति प्रखण्ड कार्यालय देहरादून में उपलब्ध कराकर, प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र के मूल्य के ई-चालान में सम्बन्धित कार्य का नाम अंकित होना अनिवार्य है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (लाख में) बिना जी.एस.टी.	धरोहर धनराशि (रु. में)	निविदा प्रपत्र एवं जी.एस.टी. का मूल्य रू०	कार्य पूर्ण करने की अवधि	निविदा की वैद्यता	पंजीकृत ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	राजकीय शिशु सदन केदारपुरम परिसर मे पेन्टिंग तथा सीलन रोधी उपचार का कार्य।	12.50	25000.00	1500+270 (GST 18%)	04 माह	45 दिन	'ई' एवं उच्चतर भवन निर्माण कार्य
1.	राजकीय नारी निकेतन केदारपुरम के भवन में पेन्टिंग, डायनिंग क्षेत्र में टाईल्स, वॉश बेसिन तथा शौचालयों में टाईल्स की मरम्मत का कार्य।	19.39	38800.00	1500+270 (GST 18%)	04 माह	45 दिन	'ई' एवं उच्चतर भवन निर्माण कार्य
1.	संस्था राजकीय शिशु सदन केदारपुरम परिसर में कर्मचारियों हेतु तीन मंजिला आवासीय भवनों की मरम्मत/ रंगाई/ पुताई कार्य।	17.07 -	34500.00	1500+270 (GST 18%)	04 माह	45 दिन	'ई' एवं उच्चतर भवन निर्माण कार्य
1.	जिला योजना के अन्तर्गत जिला होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के कार्यालय परिसर के अन्तर्गत स्टोर निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु।	13.26	26600.00	1500+270 (GST 18%)	04 माह	45 दिन	'ई' एवं उच्चतर भवन निर्माण कार्य

अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड देहरादून।

पीड़िता का कोर्ट से बंद कमरे में सुनवाई करने का आग्रह

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। महिला पहलवानों के उत्पीड़न मामले में गुरुवार को पीड़िता ने बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध किया। इस दौरान पूर्व कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण सिंह वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। सुनवाई एसीएमएम प्रियंका राजपूत की अदालत में हुई। सुनवाई में एक पीड़िता के वकील ने अदालत से बंद कमरे में सुनवाई का अनुरोध किया।

पीड़िता की ओर से कहा गया कि किसी अवांछित व्यक्ति की मौजूदगी से गवाहों को मनोवैज्ञानिक क्षति हो सकती है इसके साथ ही शर्मिंदगी के चलते वह संवाद करने में भी पीछे हट सकती हैं। प्रियंका राजपूत ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी रवि के बारे में भी पूछताछ की क्योंकि वह इस मामले में गवाह भी हैं।

राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयानों से देश आहत : भाजपा

नई दिल्ली, विशेष संवाददाता। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान पर भाजपा लगातार हमलावर है। भाजपा प्रवक्ता और सांसद संबित पात्रा ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस नेता ने अमेरिका में अपने बयानों से देशद्रोह जैसा काम किया है। राहुल गांधी ने अमेरिका में भारत की जिस तरह की छवि पेश की है, उससे पूरा देश आहत है।

संबित पात्रा ने हमला बोलते हुए कहा कि राहुल गांधी का विपक्ष का नेता होने का अहंकार संसद में झलकता है। जब जाति को जाति के खिलाफ खड़ा किया जाता है, धर्म को धर्म के खिलाफ खड़ा किया जाता है और विदेश में सिखों के बारे में कड़ी टिप्पणियां की जाती हैं तो इसे देशद्रोह ही कहा जाएगा। जो लोग नहीं जानते कि विदेशी सरजमीं पर भारत को सही परिप्रेक्ष्य में कैसे पेश किया जाए और जो लगातार मातृभूमि की अवहेलना करने का प्रयास करते हैं, उन्हें गंभीरता से नहीं लेना चाहिए।

पात्रा ने पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश की घटनाओं को लेकर भी इंडिया गठबंधन पर निशान साधा। उन्होंने कहा राहुल गांधी को अमेरिका में इंडिया गठबंधन के ए को ही याद करने में समय लगा।

कब्जा हटाने के दौरान हंगामा पुलिस की गोली से दो की मौत

गुवाहाटी, एजेंसी। असम के कामरूप (महानगर) जिले में गुरुवार को अतिक्रमणकारियों को हटाने के दौरान पुलिसकर्मियों ने उग्र प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी। इसमें दो प्रदर्शनकारियों की मौत हो गई। बवाल में 50 से अधिक लोग घायल हुए हैं।

पुलिस ने दावा किया कि उग्र भीड़ के हमले में कई अधिकारी और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद उन्हें गोली चलानी पड़ी। अधिकारियों ने बताया कि सोनापुर सर्किल कार्यालय और पुलिस की एक टीम बंगाली भाषी मुस्लिम ग्रामीणों को हटाने के लिए जिले के कोचुटोली गांव गई थी। उन्हें पहले भी अतिक्रमण वाली जमीन से हटा दिया गया था, लेकिन वे फिर से लौट आए थे। सीएम हिमंत बिस्व सरमा ने दावा किया कि अतिक्रमण हटाने का अभियान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था, लेकिन कांग्रेस द्वारा इसका विरोध किए जाने के बाद अतिक्रमणकारी आक्रामक हो गए।

नक्सलियों ने मुखबिरी के शक में दो गांव वालों को मार डाला

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर जिले में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की फंदे से लटकाकर हत्या कर दी। बस्तर क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक सुंदरराज पी. ने गुरुवार को बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नक्सलियों ने मंगलवार को मिरतुर पुलिस थाना क्षेत्र के जप्पेमरका गांव से एक स्कूली छात्र सहित तीन लोगों का अपहरण कर लिया था। इसके बाद उन्होंने जनअदालत लगाकर उनमें से दो को पेड़ पर फांसी से लटका दिया। मृतकों की पहचान माडवी सुजा और पोडियाम कोसा के रूप में हुई है।

मध्यस्थता अधिकरण का बढ़ा सकते हैं कार्यकाल : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि किसी निर्णय को पारित करने के लिए मध्यस्थता अधिकरण का निश्चित कार्यकाल अवधि समाप्त होने के बाद भी बढ़ा सकते हैं। शीर्ष अदालत इस मुद्दे पर कई हाईकोर्ट के परस्पर विरोधी निर्णयों पर सुनवाई कर रही थी। कलकत्ता हाईकोर्ट सहित कुछ हाईकोर्ट ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों की व्याख्या करते हुए माना था कि समय विस्तार के लिए आवेदन पर तभी विचार किया जा सकता है जब वह मध्यस्थता अधिकरण के कार्यकाल या आदेश की समाप्ति से पहले दायर किया गया हो।

महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के पदों हेतु विज्ञापन

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड तथा धारा 27 के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति का गठन राज्य के प्रत्येक जनपद में किया गया है। वर्तमान बोर्ड एवं समिति का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा है, नवीन बोर्ड एवं समिति के गठन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहें हैं। **आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर, 2024 है।**

चयनित बोर्ड/समिति के सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा भारत सरकार की मिशन वात्सल्य योजना की मार्गदर्शिका 2022 में निहित प्राविधानानुसार नामित प्रत्येक अध्यक्ष/सदस्य को मात्र रू.- 2000/- (रू. दो हजार समस्त व्यय सहित) प्रति बैठक अधिकतम् 20 बैठक हेतु प्रतिमाह निर्धारित किया गया है जिसमें बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता आदि समस्त देयक सम्मिलित हैं।

1- **किशोर न्याय बोर्डः** प्रत्येक जनपद में दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों का चयन जिसमें 01 महिला होगी, किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के उपनियम 4 (3) के अन्तर्गत सदस्यों की अर्हता निम्नवत है:-

A. सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की अधिसूचना/विज्ञापन की तारीख को न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी और 65 वर्ष से अधिक नही होंगी।

B. आवेदक शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 07 वर्ष का अनुभव या बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज-विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत कृतिक होने चाहिए।

C. बोर्ड का सदस्य अधिकतम् दो कार्यकालों के लिए पात्र होगा।

2- **बाल कल्याण समितिः** प्रत्येक जनपद में 01 अध्यक्ष तथा 04 सदस्य होंगें, जिसमें न्यूनतम 01 महिला का होना अनिवार्य है:-

A. समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु अधिसूचना/विज्ञापन की तारीख को न्यूनतम 35 वर्ष होगी और 65 वर्ष से अधिक नही होगी।

B. आवेदक के पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या दिब्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए और बच्चों से सम्बन्धित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में 07 वर्ष का अनुभव हो, या जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव विकास या दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में व्यवसायिक वृत्तिक डिग्री हो।

C. बाल कल्याण समिति के सदस्य अधिकतम् दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो कि लगातार नहीं होंगे परन्तु अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किये जाने वाले सदस्य के मामले में वर्जित नहीं होगी।

D. आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के आदर्श नियम 2016 व संशोधित नियम 2022 के नियम 15 (4) के प्रारूप 49 पर शपथ पत्र जमा करना होगा।

E. विदेश से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुडा व्यक्ति समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए पात्र नहीं होगा।

F. किसी गैर सरकारी संगठन या किसी संगठन, जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करता हो जिनमें समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का टकराव होता हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

3- **उपरोक्त के अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य तथा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य के पद हेतु पात्र नहीं होगें यदि आवेदकः-**

01 ऐसे पूर्ण कालिक पद का धारक, जो अधिनियम व नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए आवश्यक समय व ध्यान न दे पाए।
02 आवेदनकर्ता अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्थान से जुड़ा न हो।
03 मानव अधिकारों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण का पूर्व रिकार्ड न हो।
04 ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, दोषसिद्ध किया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराध के संबंध में पूर्ण माफी प्रदान नहीं की गई है।
05 भारत सरकार व राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा नियंत्रित किसी उपक्रम अथवा निगम की सेवा से हटाया गया या पदच्युत किया गया है।
06 बालक दुरूपयोग या बालक श्रम के नियोजन या अनैतिक कृत्य या मानव अधिकारों के किसी अन्य अतिक्रमण अथवा अनैतिक कृत्यों में कभी लिप्त रहा है, या
07 आवेदनकर्ता अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो।
08 दिवालिया न हो।

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य पदों हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदित पद का नाम (सदस्य किशोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति) ....
2. आवेदित जनपद का नाम- ....
3. नाम....................
4. पिता/पति का नाम....................
5. जन्मतिथि (हाई स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार)....................
6. स्थायी पता ....
7. पत्राचार/वर्तमान पता....................
8. शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें).. ....

प्रमाणित फोटो

हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट	स्नातक	स्नातकोत्तर	अन्य

9. बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में अनुभव का विवरण .... अनुभव प्रमाण पत्र (विवरण संलग्न करें)
10. मोबाइल/दूरभाष न०.................... ई.मेल.आई.डी....................
11. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में बोर्ड या समिति में कार्य किया गया है तो विवरणः-
पदनाम.................... जनपद का नाम ....
कार्य अवधि कब .... से .... तक

दिनांक ....

हस्ताक्षर....................
आवेदक का नाम (स्पष्ट शब्दों)....................

आवेदन हेतु सामान्य निर्देशः-

01. आयु/शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र, सामाजिक कार्यकर्ता होने का अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र प्रारूप 49 पर तथा बिन्दु संख्या 3 का 01 से 08 तक एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आदि स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र **निदेशालय महिला कल्याण उत्तराखण्ड, निकट नन्दा की चौकी, प्रेमनगर सुद्धोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड** में पंजीकृत डाक के माध्यम से या किसी भी कार्य दिवस में स्वयं/पत्रवाहक द्वारा या ई-मेल आई०डी० dir.mahilakalyan@uk.gov.in पर **दिनांक 05 अक्टूबर 2024** तक जमा करना होगा। अधिक जानकारी हेतु दूरभाष न० 7895795367, 8938033528 पर सम्पर्क किया जा सकता है या किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
02 आवेदन पत्र का प्रारूप तथा अन्य प्रारूप की विस्तृत जानकारी उत्तराखण्ड के समस्त जिला परिवीक्षा कार्यालय अथवा विभागीय बेबसाईट www.wecd.uk.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकतें है।
03 लिफाफे के ऊपर तथा आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से आवेदित पदनाम अंकित किया जाये।
04 निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
05 एक आवेदक अधिकतम् दो जनपदों से आवेदन कर सकता है, यदि दो जनपद से अधिक जनपदों से आवेदन किया जाता है तो निरस्त कर दिया जाएगा।
06 प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र स्वीकार्य होगें।

प्रारूप 49

नियम 15 (4 क)

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए शपथ पत्र

मैं.................... बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिए आवेदन कर रहा हूं/रही हूं। मैं यह सत्यापित करता हूं कि अधिनियम की धारा 27 (4क) में अधिकथित किसी भी शर्त के कारण वर्जित नहीं हूं।

(i) मेरे ऊपर मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लघंन का कोई भी पिछला रिकार्ड नहीं है।
(ii) मुझे नैतिक अधमता का दोषी नहीं ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्ध को उलटा नहीं गया है या ऐसे अपराधों के मामलें में पूर्ण क्षमा नहीं दी गयी है।
(iii) मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा तथा भारत सरकार या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उपक्रम से /सेवा से नहीं हटाया गया है।
(vi) मैं कभी भी बाल कल्याण अपराध या बाल श्रम नियोजन या अनैतिक कार्य या मानव अधिकारों या अनैतिक कार्यो के उल्लघंन में लिप्त नहीं पाया गया हूँ या
(v) मैं जिले में बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नहीं हूं।
2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

(व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम और अन्य विशिष्टियां

(प्रशांत आर्य)
निदेशक/सदस्य-सचिव, महिला कल्याण उत्तराखण्ड

केंद्र सरकार ने रोकी चार जिलों के दूसरी किस्त

पीएमश्री योजना

- धनराशि का 55 प्रतिशत भी खर्च नहीं कर पाए अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के सीईओ
- शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने सात दिन के अंदर जवाब न देने पर कार्रवाई की दी चेतावनी

जागरण संवाददाता, देहरादून : पीएमश्री योजना के तहत मिली करोड़ों की धनराशि अधिकारी खर्च करने की भी जहमत नहीं उठा रहे हैं। जिससे उत्तराखंड को केंद्र सरकार से मिलने वाली दूसरी किस्त अटक गई है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने केंद्र से मिले बजट को खर्च न कर पाने पर अल्मोड़ा, हरिद्वार, पिथौरागढ़ व बागेश्वर के सीईओ को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने सात दिन के भीतर जवाब न देने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी दी है।

शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने कहा कि अल्मोड़ा जनपद में पीएम श्री विद्यालय की प्रगति रिपोर्ट बेहद निराशाजनक है। इस जनपद में निर्धारित समय तक जारी धनराशि का करीब 29 प्रतिशत ही व्यय हुआ है। जिस पर अल्मोड़ा के सीईओ अत्रेश सयाना को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने पीएमश्री के तहत जनपद को मिले एक करोड़ 15 लाख रुपये से अधिक की धनराशि से निर्धारित समय तक केवल 4.57 लाख रुपये की राशि खर्च की है। सात दिन में जवाब न मिलने पर विभागीय कार्रवाई की चेतावनी उन्हें दी गई है।

इसके अलावा हरिद्वार के मुख्य शिक्षाधिकारी केके गुप्ता, पिथौरागढ़ के सीईओ हरक राम कोहली व बागेश्वर के सीईओ गजेंद्र सिंह से भी स्पष्टीकरण तलब किया गया है। हरिद्वार में भी पीएमश्री विद्यालय के लिए जारी बजट में सिर्फ 52 प्रतिशत ही खर्च हुआ है। जबकि, पिथौरागढ़ में 38 व बागेश्वर में 35 प्रतिशत ही धनराशि खर्च की गई है।

महानिदेशक ने कहा कि केंद्र सरकार से स्पष्ट निर्देश हैं कि पीएमश्री विद्यालय योजना को मिली धनराशि समय पर खर्च कर इसकी प्रगति रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजनी होती है। अधिकारियों को इसकी गंभीरता को खुद समझना चाहिए।

कंपनी के निदेशक सहित तीन पर अमानत में खयानत का मुकदमा

- मालिक को बिना बताए अनुबंधित वाहन को मसूरी ले गया कंपनी का कर्मचारी, कुठाल गेट के निकट हुआ हादसा
- वाहन चालक के पास नहीं था पर्वतीय क्षेत्र में ड्राइविंग का लाइसेंस, दुर्घटना होने पर कंपनी ने नहीं कराई मरम्मत

जागरण संवाददाता, देहरादून: अनुबंधित वाहन मसूरी ले जाने और कुठाल गेट के निकट हादसा होने पर वाहन ठीक न करवाने के मामले में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने डेकोरेटर एलएलपी कारपोरेट कंपनी के निदेशक सहित तीन के विरुद्ध अमानत में खयानत का मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस को दी तहरीर में रेखा रानी ने बताया कि उन्होंने अपना वाहन डेकोरेटर एलएलपी कारपोरेट कंपनी को अनुबंध पर दिया था। वाहन का अनुबंध 19 जनवरी 2024 को हुआ। शर्तानुसार वाहन की पूरी जिम्मेदारी कंपनी के निदेशक मेजाहिद इकबाल की थी, जबकि चालक का वेतन वाहन स्वामी को देना था। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने वाहन में चालक आर्यन नेगी को रखा। जब संचालन नहीं होता था तो वाहन मैनेजर धीरज कुमार के सिपुर्द किया जाता था। दो जुलाई 2024 की सुबह चालक आर्यन नेगी मेजाहिद इकबाल के कार्यालय गया तो पता चला कि मेजाहिद इकबाल व मैनेजर धीरज ने वाहन अपने कंपनी के कर्मचारी प्रदीप चंद्र को दे दिया। एक जुलाई की रात को जानकारी के बिना इसी वाहन से दो युवतियां व एक युवक मसूरी घूमने गए, जबकि प्रदीप चंद्र के पास हिल में ड्राइविंग करने का लाइसेंस भी नहीं था।

शिकायतकर्ता ने बताया कि चालक ने वाहन को लापरवाही से चलाते हुए कुठाल गेट के निकट खाई में गिरा दिया, जिससे वाहन को 10 लाख रुपये का नुकसान हुआ। चालक प्रदीप के पास वैध लाइसेंस न होने के कारण इंश्योरेंस कंपनी ने भी भुगतान नहीं किया और न ही आरोपितों ने वाहन को ठीक कराया। पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक केके लुंठी ने बताया कि कंपनी के निदेशक मेजाहिद इकबाल, मैनेजर धीरज कुमार व चालक प्रदीप चंद्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

गैर इरादतन हत्या में फरार चल रही महिला गिरफ्तार

- चंद्रबनी में भूमि के विवाद में मारपीट होने पर सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी हुई थी मौत, नौ के विरुद्ध हुआ था मुकदमा
- एसओजी टीम ने आरोपित महिला को मुजफ्फरनगर से किया गिरफ्तार, पांच हजार रुपये था इनाम

जागरण संवाददाता, देहरादून: चंद्रबनी में जमीन के विवाद में हुई मारपीट में सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी की मौत मामले में एसओजी टीम ने फरार महिला को मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार कर लिया है। उसकी गिरफ्तारी पर पांच हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था। मामले में पूर्व में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि तीन आरोपित फरार हैं। इस मामले में कुछ कथित पत्रकार भी शामिल हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि 23 जुलाई की सुबह चंद्रबनी में प्लाट के विवाद में कुछ आरोपितों ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी वीर बहादुर थापा को पीटा, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। इस मामले में पटेलनगर कोतवाली में नौ आरोपितों के विरुद्ध गैर इरादतन मुकदमा दर्ज किया गया।

घटना में शामिल पांच आरोपितों को पटेलनगर कोतवाली पुलिस पूर्व में ही गिरफ्तार कर चुकी है। इनमें से सिमला देवी निवासी हरसौली, कोतवाली मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश फरार चल रही थी, जिस पर पांच हजार रुपये इनाम घोषित किया गया था। आरोपित की गिरफ्तारी के लिए एसओजी की टीम को भी लगाया गया था। एसओजी को सूचना मिली कि महिला मुजफ्फरनगर में है। एसआइ कुंदन राम के नेतृत्व में टीम मुजफ्फरनगर पहुंची, जहां से महिला को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में पुलिस ने पहले हत्या का मुकदमा दर्ज किया, लेकिन विवेचना में हत्या की धारा को गैर इरादतन हत्या में तब्दील किया गया।

बिजली दरों में कटौती कर आमजन को दें राहत

जागरण संवाददाता, देहरादून : कांग्रेस के पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा के नेतृत्व में महानगर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव राधा रतूड़ी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा। जिसमें ऊर्जा निगम के उपभोक्ताओं पर लगाए जा रहे विभिन्न करों से राहत देने और स्मार्ट प्रिपेड मीटर लगाए जाने के निर्णय को वापस लेने की मांग की गई। प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि देश में महंगाई चरम पर है। उत्तराखंड के बिजली उत्पादन वाला राज्य होने के बावजूद, बिजली की दरें आसमान छू रही हैं। विभाग बिजली के बिलों में कई प्रकार के कर लगाकर आम जनता का शोषण कर रहा है।

पूर्व विधायक राजकुमार ने मांग की कि जल विद्युत परियोजनाओं से राज्यवासियों को लाभ के रूप में घरेलू उपभोग के लिए मात्र एक रुपये 50 पैसे प्रति यूनिट पर बिजली दी जानी चाहिए। राज्य के किसानों को खेती के लिए मुफ्त बिजली दी जानी चाहिए। यह भी कहा कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाने की योजना पर काम चालू किया गया है, लेकिन यह उपभोक्ताओं पर अनावश्यक वित्तीय बोझ है। उन्होंने कहा कि पूर्व में लगाए गए डिजिटल मीटर में भी अनेक प्रकार की गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी।

प्रधानाचार्य भर्ती निरस्त नहीं तो आंदोलन भी वापस नहीं

जागरण संवाददाता, देहरादून : प्रधानाचार्य की सीधी भर्ती को निरस्त करने की मांग को लेकर शिक्षकों का शिक्षा निदेशालय पर क्रमिक अनशन तीसरे दिन भी जारी रहा। गुरुवार को टिहरी और चंपावत के शिक्षक अनशन पर बैठे। शिक्षकों ने सरकार और विभाग के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए भर्ती को स्थगित करने के बजाय तत्काल निरस्त करने की मांग की।

राजकीय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष राम सिंह चौहान ने कहा कि जब तक परीक्षा पूरी तरह से निरस्त नहीं की जाती, शिक्षक आंदोलन वापस नहीं लेंगे। अभी सरकार ने भर्ती को स्थगित किया है। न तो संघ को ही विधिवत सूचना दी और न ही कोई समझौता ही किया है। जब तक सरकार शत प्रतिशत पदोन्नति और सीधी भर्ती पर पुनर्विचार करने का लिखित आश्वासन नहीं देती, आंदोलन जारी रहेगा। प्रांतीय उपाध्यक्ष राजकुमार चौधरी ने कहा कि भर्ती स्थगित होने के आधार पर गुमराह न हों। प्रधानाचार्य का पद शत प्रतिशत पदोन्नति का पद है। यदि सरकार न मानी तो आंदोलन उग्र किया जाएगा।

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
त्वरित कॉर्पोरेट समापन प्रसंस्करण केंद्र (सी-पेस),
आई.आई.सी.ए. बिल्डिंग, 7वीं मंज़िल,
प्लाट P-6,7,8, से.-5, आई.एम.टी. मानेसर,
गुडगाँव, हरियाणा - 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

सत्यमेव जयते

Government of India
Ministry of Corporate Affairs
Centre for Processing Accelerated Corporate Exit (C-PACE)
IICA Building, 7th Floor,
Plot P-6,7,8, Sector-5, IMT Manesar,
Gurgaon, Haryana - 122050.
Email: roc.cpace@mca.gov.in

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

(कम्पनी अधिनियम की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में)

सार्वजनिक नोटिस :ROC/C-PACE/STK-2/248(2)/2024-25/797 दिनांक: -21/08/2024

संदर्भ:

1.कम्पनी अधीनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित *(4)* कम्पनियों का नाम *उत्तराखंड* राज्य से हटाने के मामले में:

S No.	Work Item	CIN	Hindi Name
1	AA9478492	U14107UR2013PTC000828	शक्ति स्टोन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
2	AA9514610	U15400UR2021PTC012153	हाई-डिमांड फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
3	AA9697051	U15100UR2021OPC012294	सोयारिफिक फूड्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
4	AA9754122	U74999UR2020PTC011129	थिंकव्हिज़ एचआर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड

2. इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कम्पनी रजिस्ट्रार को उपर्युक्त कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पाई है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आदेश का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रुप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

3. तदनुसार, कम्पनी रजिस्ट्रार उपर्युक्त कम्पनियों के नामों को कम्पनियों के रजिस्टर से हटाने का प्रस्ताव करता है

4. यदि किसी व्यक्ति/संस्था को कम्पनी को कम्पनी रजिस्ट्रार से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति/संस्था इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 30 (तीस) दिनों के भीतर उपर्युक्त कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकते हैं।

CBC 07123/11/0405/2425

इरकन तिर्की
सहायक रजिस्ट्रार
प्रसंस्करण त्वरित कॉर्पोरेट निकास केंद्र

सत्यमेव जयते
Ministry of Information and Broadcasting
Government of India

71वां राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार 2023

प्रविष्टि हेतु सूचना

फ़िल्मों और सिनेमा पर लेखन

पात्रता

फ़ीचर और गैर फ़ीचर फ़िल्म
केंद्रीय फ़िल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा प्रमाणित फ़िल्में

सिनेमा पर पुस्तकें एवं लेख/ समीक्षाएँ
प्रकाशित

01/01/2023 से 31/12/2023 के बीच
(दोनों दिन शामिल)

किसी भी जानकारी के लिए फ़ोन करें - 011-26499378/357
कार्य दिवस: (सुबह 09:30 - शाम 05:00 बजे तक)

विनियम की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया www.mib.gov.in पर जाएं
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 18.09.2024 (शाम 5 बजे तक)

सभी अपेक्षित दस्तावेज़ नीचे दिए गए पते पर भेजें:

राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार सेल
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार
सिरी फोर्ट सभागार परिसर, अगस्त क्रांति मार्ग
नई दिल्ली-110049

ई-मेल: 71nfa2023@gmail.com
वेबसाइट: www.mib.gov.in

cbc 22201/11/0013/2425

महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों एवं किशोर न्याय बोर्ड के सदस्यों के पदों हेतु विज्ञापन

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 की धारा 4 के अन्तर्गत किशोर न्याय बोर्ड तथा धारा 27 के अन्तर्गत बाल कल्याण समिति का गठन राज्य के प्रत्येक जनपद में किया गया है। वर्तमान बोर्ड एवं समिति का कार्यकाल जनवरी 2025 में समाप्त हो रहा है, नवीन बोर्ड एवं समिति के गठन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहें हैं। **आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर, 2024 है।**

चयनित बोर्ड/समिति के सामाजिक कार्यकर्ता का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष से अधिक नहीं होगा तथा भारत सरकार की मिशन वात्सल्य योजना की मार्गदर्शिका 2022 में निहित प्राविधानानुसार नामित प्रत्येक अध्यक्ष/सदस्य को मात्र रू.- 2000/- (रू. दो हजार समस्त व्यय सहित) प्रति बैठक अधिकतम् 20 बैठक हेतु प्रतिमाह निर्धारित किया गया है जिसमें बैठक भत्ता, यात्रा भत्ता आदि समस्त देयक सम्मिलित हैं।

1- **किशोर न्याय बोर्डः** प्रत्येक जनपद में दो सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों का चयन जिसमें 01 महिला होगी, किशोर न्याय आदर्श नियम 2016 के उपनियम 4 (3) के अन्तर्गत सदस्यों की अर्हता निम्नवत हैः-
   A. सामाजिक कार्यकर्ता सदस्यों की अधिसूचना/विज्ञापन की तारीख को न्यूनतम आयु 35 वर्ष होगी और 65 वर्ष से अधिक नही होगी।
   B. आवेदक शिक्षा, स्वास्थ्य या कल्याण कार्यकलापों में बालकों के साथ कार्य करने का कम से कम 07 वर्ष का अनुभव या बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या समाज-विज्ञान या विधि क्षेत्र में डिग्री प्राप्त व्यवसायरत कृतिक होने चाहिए।
   C. बोर्ड का सदस्य अधिकतम् दो कार्यकालों के लिए पात्र होगा।

2- **बाल कल्याण समितिः** प्रत्येक जनपद में 01 अध्यक्ष तथा 04 सदस्य होंगें, जिसमें न्यूनतम 01 महिला का होना अनिवार्य हैः-
   A. समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों की आयु अधिसूचना/विज्ञापन की तारीख को न्यूनतम 35 वर्ष होगी और 65 वर्ष से अधिक नही होगी।
   B. आवेदक के पास बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव स्वास्थ्य या शिक्षा या मानव विकास या दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में डिग्री होनी चाहिए और बच्चों से सम्बन्धित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में 07 वर्ष का अनुभव हो, या जो बाल मनोविज्ञान या मनोचिकित्सा या कानून या सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मानव विकास या दिव्यांग बच्चों के लिए विशेष शिक्षा में व्यवसायिक वृत्तिक डिग्री हो।
   C. बाल कल्याण समिति के सदस्य अधिकतम् दो कार्यकालों तक नियुक्ति के लिए पात्र होंगे, जो कि लगातार नहीं होंगे परन्तु अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति किये जाने वाले सदस्य के मामले में वर्जित नहीं होगी।
   D. आवेदन करने वाले व्यक्ति को आवेदन पत्र के साथ किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम 2015 के आदर्श नियम 2016 व संशोधित नियम 2022 के नियम 15 (4) के प्रारूप 49 पर शपथ पत्र जमा करना होगा।
   E. विदेश से सहायता प्राप्त करने वाले किसी संगठन से जुडा व्यक्ति समिति के अध्यक्ष या सदस्य पद के लिए पात्र नहीं होगा।
   F. किसी गैर सरकारी संगठन या किसी संगठन, जो ऐसे कृत्यों का निष्पादन करता हो जिनमें समिति के अध्यक्ष या सदस्य के रूप में उनके कर्तव्यों के निर्वहन में हितों का टकराव होता हो, नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा।

3- **उपरोक्त के अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य तथा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य के पद हेतु पात्र नहीं होगें यदि आवेदकः-**
   01 ऐसे पूर्ण कालिक पद का धारक, जो अधिनियम व नियमों के अनुसार बोर्ड या समिति के कार्य के लिए आवश्यक समय व ध्यान न दे पाए।
   02 आवेदनकर्ता अपने कार्यकाल के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी बाल देखरेख संस्थान से जुड़ा न हो।
   03 मानव अधिकारों या बालक अधिकारों के अतिक्रमण का पूर्व रिकार्ड न हो।
   04 ऐसे अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित है, दोषसिद्ध किया गया है और ऐसी दोषसिद्धि को उलटा नही गया है या ऐसे अपराध के संबंध मे पूर्ण माफी प्रदान नहीं की गई है।
   05 भारत सरकार व राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या द्वारा नियंत्रित किसी उपक्रम अथवा निगम की सेवा से हटाया गया या पदच्युत किया गया है।
   06 बालक दुरुपयोग या बालक श्रम के नियोजन या अनैतिक कृत्य या मानव अधिकारों के किसी अन्य अतिक्रमण अथवा अनैतिक कृत्यों में कभी लिप्त रहा है, या
   07 आवेदनकर्ता अपने कार्यकाल के दौरान किसी राजनैतिक पद का पदाधिकारी न हो।
   08 दिवालिया न हो।

किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य एवं बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष व सदस्य पदों हेतु आवेदन पत्र

1. आवेदित पद का नाम (सदस्य किशोर न्याय बोर्ड/अध्यक्ष/सदस्य बाल कल्याण समिति) ....
2. आवेदित जनपद का नाम- ....
3. नाम..............................
4. पिता/पति का नाम..............................
5. जन्मतिथि (हाई स्कूल प्रमाण-पत्र के अनुसार)..............................
6. स्थायी पता ....
7. पत्राचार/वर्तमान पता..............................
8. शैक्षिक योग्यता (प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें).. ....

प्रमाणित फोटो

हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट	स्नातक	स्नातकोत्तर	अन्य

9. बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में अनुभव का विवरण .... अनुभव प्रमाण पत्र (विवरण संलग्न करें)
10. मोबाइल/दूरभाष न०.............................. ई.मेल.आई.डी..............................
11. यदि आवेदक द्वारा पूर्व में बोर्ड या समिति में कार्य किया गया है तो विवरणः-
    पदनाम.............................. जनपद का नाम ....
    कार्य अवधि कब .... से .... तक

दिनांक ....

हस्ताक्षर..............................
आवेदक का नाम (स्पष्ट शब्दों)..............................

आवेदन हेतु सामान्य निर्देशः-

01. आयु/शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र, सामाजिक कार्यकर्ता होने का अनुभव संबंधी प्रमाण-पत्र, शपथ पत्र प्रारूप 49 पर तथा बिन्दु संख्या 3 का 01 से 08 तक एवं निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आदि स्वप्रमाणित कर आवेदन पत्र **निदेशालय महिला कल्याण उत्तराखण्ड, निकट नन्दा की चौकी, प्रेमनगर सुद्धोवाला रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड** में पंजीकृत डाक के माध्यम से या किसी भी कार्य दिवस में स्वयं/पत्रवाहक द्वारा या ई-मेल आई०डी० dir.mahilakalyan@uk.gov.in पर **दिनांक 05 अक्टूबर 2024** तक जमा करना होगा। अधिक जानकारी हेतु दूरभाष न० 7895795367, 8938033528 पर सम्पर्क किया जा सकता है या किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
02 आवेदन पत्र का प्रारूप तथा अन्य प्रारूप की विस्तृत जानकारी उत्तराखण्ड के समस्त जिला परिवीक्षा कार्यालय अथवा विभागीय बेबसाईट www.wecd.uk.gov.in से डाउनलोड कर प्राप्त कर सकतें है।
03 लिफाफे के ऊपर तथा आवेदन पत्र पर स्पष्ट रूप से आवेदित पदनाम अंकित किया जाये।
04 निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
05 एक आवेदक अधिकतम् दो जनपदों से आवेदन कर सकता है, यदि दो जनपद से अधिक जनपदों से आवेदन किया जाता है तो निरस्त कर दिया जाएगा।
06 प्रत्येक पद हेतु पृथक-पृथक आवेदन पत्र स्वीकार्य होगें।

प्रारूप 49

नियम 15 (4 क)

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष या सदस्य के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति के लिए शपथ पत्र

मैं.............................. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष/सदस्य के पद के लिए आवेदन कर रहा हूं/रही हूं। मैं यह सत्यापित करता हूं कि अधिनियम की धारा 27 (4क) में अधिकथित किसी भी शर्त के कारण वर्जित नहीं हूं।

(i) मेरे ऊपर मानव अधिकारों या बाल अधिकारों के उल्लघंन का कोई भी पिछला रिकार्ड नहीं है।
(ii) मुझे नैतिक अधमता का दोषी नहीं ठहराया गया है और ऐसी दोषसिद्ध को उलटा नही गया है या ऐसे अपराधों के मामलें में पूर्ण क्षमा नहीं दी गयी है।
(iii) मुझे भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा तथा भारत सरकार या राज्य के स्वामित्व या नियंत्रण वाले उपक्रम से /सेवा से नहीं हटाया गया है।
(vi) मैं कभी भी बाल कल्याण अपराध या बाल श्रम नियोजन या अनैतिक कार्य या मानव अधिकारों या अनैतिक कार्यो के उल्लघंन में लिप्त नहीं पाया गया हूं या
(v) मैं जिले में बाल देखरेख संस्था के प्रबंधन का भाग नहीं हूं।
2. यदि राज्य सरकार द्वारा अन्यथा पाया जाता है तो मैं दांडिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

(व्यक्ति के हस्ताक्षर)
नाम और अन्य विशिष्टियां

(प्रशांत आर्य)
निदेशक/सदस्य-सचिव, महिला कल्याण उत्तराखण्ड